मेरी शान,
भारत का संविधान!

शिक्षित करो!

संगठित करो!!

संघर्ष करो!!!

मेरी शान,
भारत का संविधान!

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

चुनावी घोषणापत्र - प्रमुख बिंदु

1. संवैधानिक बिंदु :

1. आरक्षण का मापदंड सामाजिक पिछडापन होना चाहिए और इसे किसी भी प्रकार से कमजोर किए जाने का पार्टी विरोध करेगी।
2. ओबीसी को भी प्रोन्नति में आरक्षण द्वारा प्रतिनिधित्व।
3. निजी क्षेत्रो में भी एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण लागू किया जाना।
4. संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अनुसार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाएगा और इसके माध्यम से उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी ।
5. न्यायपालिका में एससी/एसटी और ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
6. रक्षा सेवाओं में एससी/एसटी और ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
7. उच्च पदों–राजनीतिक पदों जैसे कि गवर्नर, कुलपति, विभागाध्यक्ष, निदेशकों, राजदूत, ट्रिब्यूनल के सदस्य इत्यादि की नियुक्ति में एससी/एसटी और ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
8. खेलों में एससी/एसटी और ओबीसी को प्रतिनिधिक आरक्षण।
9. पीएचडी और सुपर स्पेशालिटी कोर्स में एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण द्वारा प्रतिनिधित्व।
10. संविधान के उद्देश को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकरण को बढावा दिया जाना।
11. संविधान के अनुच्छेद 16(4)(बी) से आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा ;ब्मपसपदहद्ध के संदर्भ को हटाना।
12. ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में मलाईदार परत ;बतमंउल संलमतद्ध संबंधी उपबंध को समाप्त किया जाना।
13. संविधान के उपबंधों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन को प्राथमिकता दिया जाना।

2. रोजगार :

1. नियमित आधार पर सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों की नियुक्ति।
2. नौकरियों के आउटसोर्सिंग और अनुबंध प्रणाली (ठेकेदारी प्रथा) को समाप्त करना।
3. सभी के लिए रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।
4. श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और श्रमिकों की गरिमा।
5. ट्रेड यूनियन कानूनों की समीक्षा व कर्मकारों के हित में उनका प्रवर्तन।
6. सफाई कर्मियों का नियमितीकरण।
7. पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराना।
8. युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कराये जाने हेतु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सम्बन्धी नियमों को कठोरता से लागू किया जाना तथा सार्वजनिक और निजी इकाइयों में होने वाली कर्मचारियों की नियुक्ति एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से ही कराया जाना।
9. रोजगार पैदा करने के लिये सहकारी संस्थान स्थापित किया जाना।

3. शिक्षा :

1. शिक्षा का राष्ट्रीयकरण तथा वैज्ञानिकीकरण।
2. शिक्षा के सभी स्तरों पर पूरे देश में एकसमान पाठयकम का निर्धारण।
3. सभी छात्रों व छात्राओं को 12वीं क्लास तक अनिवार्य शिक्षा दिया जाना।
4. शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय संविधान की अनिवार्य शिक्षा दिया जाना।
5. मूल्य सूचकांक के अनुसार एससी/एसटी और ओबीसी तथा परिवर्तित अल्पसंख्यक छात्रों के लिये छात्रवृत्ति राशि।
6. शिक्षा ऋण उपलबध कराने हेतु प्रकिया का सरलीकरण।

4. कृषि :

1. कृषि क्षेत्र के लिये उच्च बजट का प्रावधान करना।
2. जमीन का और विखण्डन रोका जाना।
3. भूमि का एकीकरण किया जाना।
4. सीमांत किसानों ओर भूमिहीन मजदूरों को जमीन का पुनर्वितरण।
5. राज्य कृषि विकास निगम का गठन और कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार की व्यवस्था।
6. उत्पादकता बढाने के लिये कृषि मशीनरी और गुणवत्तापरक बीज का प्रावधान करना।

7. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य।
8. भूमि सीलिंग अधिनियम की समीक्षा।
9. किसानों के ऋण माफ करने की योजना को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना।
11. सहकारी कृषि को बढावा देना।

5. महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति :

1. महिलाओं के सुरक्षा एवं कल्याण की नीतियों को लागू करना।
2. संवैधानिक भावनाओं के अनुसार सभी सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दिया जानां
3. महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों की जांच महिला अधिकारी के साथ–साथ महिला न्यायाधीशों द्वारा तय किया जाना।
4. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां को पौष्टिक भोजन प्रदान कराया जाना।

6. सामाजिक असमानता और अत्याचार :

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का सख्त कियान्वन।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में ओबीसी को भी शामिल किया जाना।
3. एससी/एसटी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार की जांच इन समुदायों के अधिकारियों द्वारा कराया जाना।
4. एससी/एसटी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचारों के मामलों की सुनवाई करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किया जाना।
5. अल्पसंख्यक समुदायों को समावेशी विकास प्रकिया के तहत बढावा दिया जाना और उनके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण किया जाना।
6. आदिवासी क्षेत्र में संविधान की अनुसूची व्ही ट तथा टप के उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना।

7. स्वच्छता आवास और स्वास्थ :

1. स्वास्थ क्षेत्र को तर्कसंगत बनाना।
2. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना।
3. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त आवास मुहैया कराया जाना क्योंकि उन्हें भी जीवन के अधिकार के रूप में सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है ।
4. प्रत्येक घर को स्वच्छता सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे कि खुले में शौच ना किया जाए।
5. सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा शर्तों की समीक्षा।
6. गटर की सफाई मशीनों द्वारा कराया जाना।

8. आर्थिक नीतियां :

1. राष्ट्र में पूंजी निर्माण और संसाधनों के समान वितरण के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दिया जाना।
2. सहकारी खेती का प्रयास करना।
3. देश के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संस्थानों की स्थापना करना।
4. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान।
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना।
6. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ;डैडम्द्ध का विकास और प्रोत्साहित करना।
7. रू.100 करोड या इससे अधिक की कुल संपत्तियों वाली सभी ट्रस्टों का राष्ट्रीयकरण किया जाना।
8. निजी क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना।
9. वर्ष 2014 के पूर्व की गैस सब्सिडी को बहाल करना है।

9. लोक कल्याणकारी कदम :

1. सभी के लिए मुफत एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
2. प्रति माह 100 इकाई प्रयोग करने वाले परिवारों के लिए मुफ्त घरेलू बिजली।
3. गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
4. विधवा एवं विकलांग के लिए निःशुल्क राशन की उपलब्धता।
5. जाति जनगणना विशेषकर ओबीसी की गणना करके उनकी जाति की आबादी का पता लगाना और उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में राज्य समर्थन प्रदान किया जाना।
6. अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान की अनुसूचि ट तथा टप एवं पेशा कानून को लागू किया जाना।
7. गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा पर रहने वाले परिवारों की स्थिती में सुधार किया जाना।
8. मिड –डे भोजन के स्थान पर दूसरी वैकल्पिक प्रणाली लागू करना क्योंकि यह शिक्षकों को शामिल करती है और छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा से वंचित कर देती है।
9. वन अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्रों में रहनेवाले एससी/एसटी परिवारों को समान रूप से अधिकार दिया जाना।